(2)

टी०ए० मिस केस सं० 06/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
17/05/19	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता आवेदक (1) डोबरो देवगम,(2) नारा देवगम दोनों के पिता– स्व0 सिदु देवगम उर्फ सिदिऊ देवगम, ग्राम– खप्परसाई, थाना– मुफफसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– खप्परसाई, थाना नं०– 109 ,खाता नं०– 72, प्लॉट नं०– 398, रकवा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता मंगल सिंह पाड़ेया, पिता–श्री सोंगा पाड़ेया, ग्राम– कुरसी, थाना– मुफफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना0 मु0 सं0192/2001–02 द्वारा नामांतरित तथा पंजी II में दर्ज है।आवेदक गण का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 325, दिनांक– 2.5.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता मंगल सिंह पाड़ेया, पिता–श्री सोंगा पाड़ेया, ग्राम– कुरसी, थाना– मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 1,50,000.00/–(एक लाख पचास) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता(1) डोबरो देवगम,(2) नारा देवगम दोनों के पिता– स्व0 सिदु देवगम उर्फ सिदिऊ देवगम, ग्राम– खप्परसाई, थाना– गुफफसिल, क्रेता मंगल सिंह पाड़ेया, पिता–श्री सोंगा पाड़ेया, ग्राम– कुरसी, थाना– मुफफसिल चाईबासा के पास जमीन का 1,50,000.00/–(एक लाख पचास) मे मौजा–खप्परसाई, थाना नं०– 109 ,खाता नं०– 72, प्लॉट नं०– 398, रकवा– 0.07½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति.................दी जाती है। लेखापित। (ह०) 17/5/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (ह०) 17/5/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner